.भाग I संघ व राज्य क्षेत्र
(Union and It's Territory)
Art. 1-4

अनुच्छेद 1 – संघ का नाम व राज्य क्षेत्र
इंडिया अर्थात् भारत ''राज्यों का एक संघ होगा''।

➢ दो नाम (BHARAT, INDIA) को क्यों सम्मिलित किया गया ?
1. देशज पहचान बनी रखे।
2. अन्तर्राष्ट्रीय कानून व संधि की सुनिश्चिता।
3. वैधानिक विवादों को कम करने के लिये।

संघीय शब्द के वजाय **Cemion** (राज्यों का संघ)।

USA	INDIA
पहले से ही राज्य थे राज्यों ने एक साथ आकार समझौता निर्माण	▪ राज्य पहले से नहीं थे ▪ पहलें India बना ▪ प्रशासनिक सुविधा हेतु राज्यों का निर्माण ▪ भारत समझोते का परिणाम नहीं

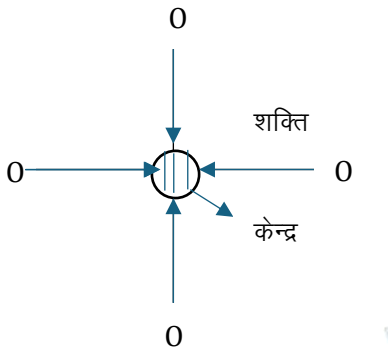

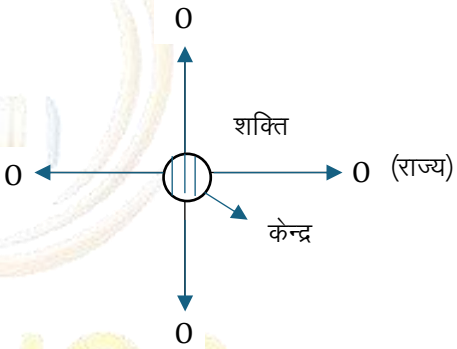

भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में राज्य व राज्य क्षेत्र के बारें में वर्णन है।

भारत का राज्य क्षेत्र

राज्यों का क्षेत्रफल (State) | **केन्द्रशासित प्रदेश**(UT) | **असिग्रहित राज्य क्षेत्र** (AT)

ब्रिटिश प्राप्त देशी रियासत → Art.2

(Union of India भारत संघ)

Represented by Parliament

अनुच्छेद 2 : यह अनुच्छेद किसी अधिग्रहित क्षेत्र को भारत संघ में मिलाकर नये राज्यों का निर्माण करता है। नये राज्यों की स्थापना के सम्बन्ध सम्पूर्ण शक्ति संसद के पास है। संसद या तो नये राज्यों की स्थापना करके या अधिग्रहित क्षेत्र को सम्मिलित करके संसदीय कानून द्वारा निर्माण कर सकती है।

नोट : इस अनुच्छेद में नवीन राज्यों की स्थापना होती है। जो पहले से अस्तित्व में नहीं थे।

अनुच्छेद 3: नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन द्वारा राज्यों का निर्माण ।

- नये राज्यों का निर्माण या दो राज्यों का मिलाकर।
- राज्य के क्षेत्र की सीमा बढ़ाकर।
- राज्य के क्षेत्र की सीमा घटाकर।
- राज्य की सीमा परिवर्तन कर या
- राज्यों के नाम में परिवर्तन कर।

उपरोक्त दिये हुये प्रावधानों का उपयोग कर केवल संसद नये राज्यों का निर्माण कर सकती है। केवल 2 शर्तों का पालन करें।

1. एकसा कोई भी विधेयक जो राज्य की सीमा के परिवर्तन के संदर्भ में हो वो संसद में केवल शसूपति की पूर्व अनुसंशा के बाद ही लाया जा सकेगा।
2. राष्ट्रपति ऐसे प्रस्ताव को सम्बन्धित राज्य विधायिका में भैजेगा (राष्ट्रपति द्वारा निश्चित समय सीमा के आधार पर) ताकि विधायिका की राय प्राप्त की जा सके।

नोट : राज्य की राय राष्ट्रपति पर बाधित नहीं होती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने बाबूलाल पढ़ते केश में यह निर्णय दिया कि राज्य की राय राष्ट्रपति पर बाह्यकारी नहीं है। यह केवल एक प्रक्रिया मात्र है। अर्थात.....

न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

प्राकृतिक न्याय क्या है।

- कोई भी व्यक्ति अपने मामले के लिये जज नहीं बन सकता है।
- सभी पार्टी की सुनवाई करना।
- कोई भी जज पक्षपाती नहीं होना चाहिये।

अनु. 395 कुल 470	अनुसूचियां कुल 12	भाग पहले 22 वर्तमान में 25

- अनु. 2 व 3 नये राज्यों का निर्माण
- अनुसूची I: राज्यों का क्षेत्र व नाम
- अनुसूची IV: प्रत्येक राज्य के लिये राज्यसभा सीटें

अनुच्छेद IV: अनुच्छेद 2 व 3 का प्रयोग कर संसद विधि द्वारा नये राज्य के निर्माण से अनुसूची IV में परिवर्तन करती है तो ऐसा परिवर्तन अनु. 365 के अन्तर्गत संवैधानिक संसोधन नहीं माना जायेगा, बल्कि संसद द्वारा सामान्य संशोधन माना जायेगा।

इसीकारण अनु. 4 राज्यों के निर्माण व विनाश के लिये साधारण बहुमत द्वारा शक्ति प्रदान करता है। इसलिये भारत एक विनाशी संघ का अविनाशी संघ कहा जाता है।

प्रश्न : **क्या भारत ऐसे क्षेत्रों को किसी अन्य देश को दे सकता है जो भारत का अभिन्ना अंग है।**
उत्तर : सर्वोच्च न्यायालय ने बेरू वाड़ी केस में यह निर्णय दिया कि ऐसे अभिन्न क्षेत्र को देने के लिये संवैधानिक संसोधन की आवश्यकता होगी।
उदा. बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने के लिये 100वां संविधान संसोधन 2015 लागू किया

प्रश्न : **क्या भारत को किसी अन्य देश के साथ सीमा विवाद के समाधान के लिये संविधान संसोधन की आवश्यकता है।**
उत्तर : ईश्वर लाल पटेल केस 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सीमा विवाद के समाधान हेतु संविधान संसोधन की आवश्यकता नहीं है। यह केवल संसद के कानून द्वारा ही सम्भव है।

प्रश्न : **भारतीय संविधान में 'संघीय' शब्द के बजाय 'राज्यों का संघ' का उपयोग क्यों किया गया है।**
उत्तर :

Dr. B.R. Abmedkar	**USA :**
India → शक्ति स्थानांतरित → पहले से ही राज्य अस्तित्व में नहीं थे → समझौते का परिणाम नहीं था 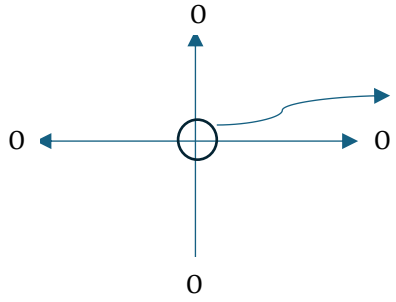 भारत संघ – अविनासी राज्य – केन्द्र (संघ) राज्य को तोड़ विनास कर कर सकता है। विनासी राज्य की अविनासी संघ है।	→ राज्य अस्तित्व में थे → राज्यों ने आपसी सहमति से संघ बनाया। 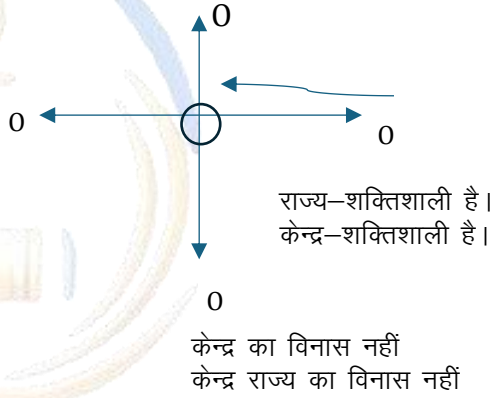 अविनासी राज्य का अविनासी संघ है।

प्रश्न : भारतीय संघवाद की प्रकृति क्या है।
उत्तर :

1. के.सी.व्हीयर – अर्द्ध संघ
2. सर आइवर जोनिंग्स – केन्द्रीय प्रवृत्ति के साथ संघीय ढ़ांचा
3. ग्राइनवील आंस्टीन – सहकारी संघवाद
4. विलियम मोरिस जोन्स – सौदेबाजी का संघ
5. डॉ.बी.आर.अम्बेडकर – स्वनिर्मित/अपने आप में अद्भुत

संघीय विशेषता (Federal Features)	एकतात्मक विशेषता (Unitary Feature)
1. लिखित संविधान 2. शक्तियों का विभाजन 3. द्विसदनीय विधायिका (1.लोकसभा 2.राज्यसभा)	1.केन्द्र के पास अपशिष्ट शक्तियां संविधान की **अनुसूची 7** (list 1) संघ सूची Union List → कानून केन्द सरकार (list 2) राज्य सूची State list → राज्य सर. (list 3) समवर्ती सूची Concurrent list → केन्द+राज्य सर. 1,2,4 के अलावा विषय अपशिष्ट 2. आपातकालीन प्रावधान 3. समवर्ती सूची में केन्द्र का शक्तिशाली होना 4. गर्वनर का पद 5. अखिल भारतीय सेवाऐं 6. एकल व एकीकृत न्यायापालिका

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान की केन्द्रीकृत विशेषताओं को लक्षित करते हुये कहा कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब देश की व्यवस्था अपने आप में अद्भुत थी, क्योंकि देश में पहले से ही अलगाववादी आन्दोलन चल रहे थे। इसीकारण देश की यह केन्द्रीकरण व्यवस्था देश की असमान परिस्थिति से लड़ने के लिये सक्षम बनाती है।

सामान्य परिस्थिति में देश का संविधान संघीय आचरण करता है। क्योंकि इस वक्त राज्यों को राज्य सूची के सन्दर्भ में सभी शक्तियां होती है। इसी कारण डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने भारतीय संघीय व्यवस्था को Sci Heneris कहा अर्थात् स्वतः निर्मित या अपने आप में अद्भुत कहा।

प्रश्न : भारतीय संविधन की संघीय व एकात्मक विश्लेषण करें।

प्रश्न : भारतीय संविधान को केन्द्रीकृत प्रवृत्ति क्यों प्राप्त है, आलोचनातम्क वर्णन करें।

बहुमत (Majority)

प्रकार – 4

❖ पूर्ण बहुमत : कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक (50%+1) को पूर्ण बहुमत कहा जाता है।

लोकसभा – 550, वर्तमान में 543

50% = 272

272^{+}

राज्यसभा – 245 123^{+}

उपयोग – राष्ट्रपति के निर्वाचन में

साधारण बहुमत : सदन के कुल सदस्यों का आधे से ज्यादा सदस्य जो उपस्थित है। एवं मत देते है अथवा संसद के सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत से अधिक बहुमत को साधारण बहुमत कहा जाता है।

(50%+1) + Present and Voting

लोकसभा :

543 कुल संख्या
143 अनुउपस्थित
400 उपस्थित
100 मत न देने वाले → LGBTQ+ Bill, Electricity Bill — वोट नहीं करेंगें
300 - P/V = 150^{+} = 151

कार्यकारी बहुमत है

पूर्ण बहुमत = साधारण बहुमत → कुल 543, अनुपस्थित 0
543 P & V

50%+1
543 = 272^{+}

प्रयोग

1. धन विधेयक (Money Bill)
2. वित्त विधयेक (Finance Bill)
3. साधारण विधेयक (Ordinal Bill)

क. स्थगन प्रस्ताव/अविश्वास प्रस्ताव पारित करने में
ख. वित्तीय आपातकाल लगानें में।
ग. लोकसभा का सभापति एवं उपसभापति के चुनाव में
घ. ऐसे संवैधानिक संसोधन विधेयक जिसको स्वीकार करने के लिये राज्यों की सहमति के सन्दर्भ में साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है।

प्रभावी बहुमत : प्रभावी संख्या 50%+1
कुल बहुमत – Unacquires (मृत्यु, त्यागपत्र, निरयोग्य)

543
143 - Unacquires
400 प्रभावी संख्या

राहुल गाँधी
- राय वरेली
- वायनाद (Disqualify & 2Yrs Jail)

नरेन्द्र मोदी
- बड़ोढरा (जीत) त्यागपत्र
- बनारस (जीत) M.P.

प्रयोग :

1. राज्यसभा के उपसभापति के हटाने के लिये – अनु. 67 व
2. लोकसभा एवं विधायिका के उपसभापतियों को हटाने में

विशेष बहुमत :

Flavour - I : सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले कुल सदस्यों की संख्या का दो–तिहाई से ज्योदा हो।

543 – कुल सदस्य
143 – अनुपस्थित
400 – मत न देने वाले + उपस्थित
300 – उपस्थित + वोटिंग
इसका 2/3 भाग 300x2/3 = 200

उपयोग

1. अखिल भारतीय सैवाओं का निर्माण अनु. 312 ।

→ राज्य सभा एक प्रस्ताव के द्वारा संसद को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह नये अखिल भारतीय सेवा का सृजन करें।

→ प्रस्ताव को में पारित होना चाहिये।

2. अनु. 249 : राज्य सभा प्रस्ताव करके संसद को यह शक्ति प्रदान करती है। कि वह राज्य सूची के विषय में कानून बनाये।

→ यह विषय राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिये।

UL	SL	CL
संसद	राज्य विधायिक	दोनों

विषय = राष्ट्रीय महत्व

Flavour-I : सदन के कुल संख्या का 50 प्रतिशत से अधिक समर्थित और कुल उपस्थित, मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों क बहुमत से ह।

नोट–इसका उपयोग/मुख्यः रूप से अधिकांश संविधान संशोधन विधेयकों के लिये किया जाता है।

Flavour-II = 2/3 member Present + Voting
2nd Difficult Majority 50%+1 Total Strength
= 272^{+}

प्रयोग –

सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को हटाना। ऐसा एक संविधानिक संसोधन विधेयक पारित करना जो संघवाद क खिलाफ है।

- CSH, CHIEF ELECTION COMMISIONOR (CEC) को हटाना।
- राष्ट्रीय आपात काल को घोषित करना।
- विधान परिषद के अन्मूलन द्वारा

उदा.

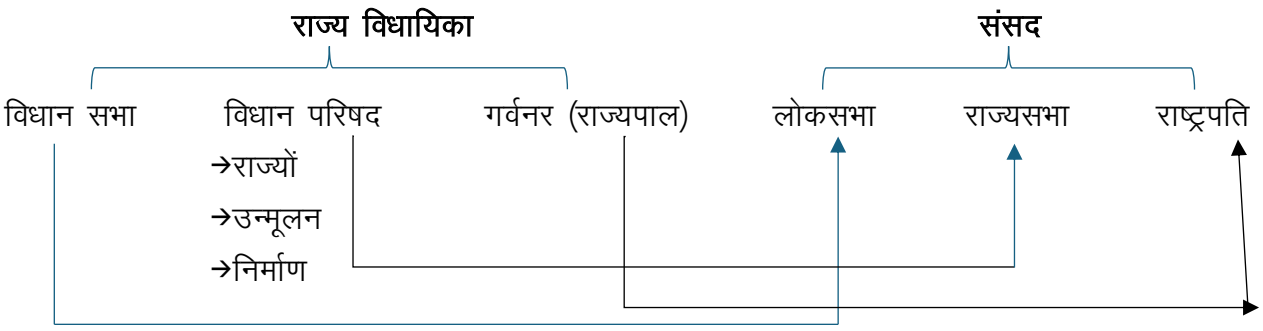

Flavour-III :

- Flovour-II +50% राज्यों का समर्थन
- 2/3 Majority P & V + 15 राज्यों का समर्थन
  50% + 1 = 1.5
- 2/3 mojority + P V+
  Full Majority + 15 राज्यों का समर्थन

28
+2 — Delhi, Pundecheri

प्रयोग –

1. इस प्रकार के बहुमत का प्रयोग ऐसे संवैधानिक संसोधन के लिये किये जाता है जो सवंधिान के संघीय विशेषता को परिवर्तित करती है।
2. सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायलय के न्यायधीशों के परिवर्तन नियुक्ति में।
3. अनुसूची 7 में परिवर्तन हेतु आवश्यक है।
4. राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन।

Flavour-III : सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 संख्या से कम न होना चाहिये।
→ यह सबसे कठिन प्रकार का बहुमत है।

उदा. लोकसभा 543 X 2/3 = 362
362^{+} बहुमत लोकसभा में।

राज्यसभा 245 X 2/3 = 163.5
163+ बहुमत राज्यसभा में।

प्रयोग : राष्ट्रपति पर महाभियोग।

VIDYA ICS
Dedicated To Civil Services

भाग. – II
अनुच्छेद : 5 – 11
नागरिकता

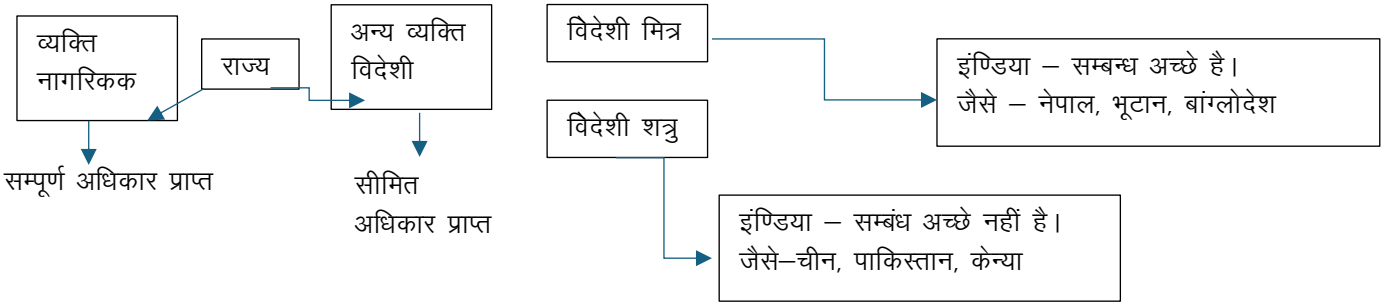

नागरिकता एक ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति राज्य व अन्य व्यक्ति के बीच सम्बन्ध को परिभाषित करता है। नागरिकता के मू
के द्वारा कोई व्यक्ति सम्पूर्ण अधिकारों की प्राप्ति करता है। जो कि अन्य व्यक्ति के लिये अनुपलब्ध हैं
नोट–सम्पूर्ण अधिकार अर्थात् सभी राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक अधिकार।

❖ **संविधान के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार :**

1. जन्म के द्वारा
2. वंश के द्वारा
3. निवास स्थान के आधार पर।

अनु. 5 : संविधान के प्रारम्भ में नागरिकता।

यह अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 अर्थात् संविधान के प्रारम्भ में लोगों के लिये नागरिकता के बारें में बात करता है। इसके तह
नागरिकता उन व्यक्तियों को प्राप्त की जाती है। जिसका अधिवाश भारतीय क्षेत्र में है और

- कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है।
- जिनके माता–पिता में से किसी एक का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो।
- जो संविधान लागू होने से ठीक पहले सामान्यतः 5 वर्ष भारत भारत का निवासी रहा हो।

अनु. 6 : पाकिस्तान से प्रभासित कुछ व्यक्तियों की नागरिकता।

इस अनुच्छेद के अन्तर्गत पाकिस्तान से आने वाले प्रवासियों को 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्तियों को नागरिकत
प्रदान की जायेगी।
जो भी व्यक्ति इस तिथि के बाद भारत आता है तो उसे नागरिक केवल इस आधार पर माना जायेगा जो परमिट/पंजीकरण
अपने साथ रखेगा एंव इसी पंजीकरण में इस बात की पुष्टि होगी कि वह कम स कम 6 माह तक भारत में होने वाला है।

अनु. 7 : पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता

यह अनुच्छेद उन लोगों के अधिकारों से सम्बन्धित है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान लोग लगे लेकिन बाद में भारत लौ
आये।
यह अनुच्छेद कहता है। कि ऐसे व्यक्ति जो भारत वापस आना चाहते है उन्हें भारत का नागरिक स्वीकार किया जायेगा पर
इन्हें अनु. 6 के अन्तर्गत प्रक्रिया पूर्ण करनी पड़ेगी।
जो निम्नलिखित है।

1. Valid Permit
2. 6 Month पुर्नवास

1 March 1947 : Mountbatten Yojna
Pak / India

अनु. 8 : भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से संबंधित।
ऐसे लोग जो रोजगार विवाह व शिक्षा के परियोजना के लिये भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों
संबंधित है।

अनु. 9 : स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करने वालें लोग भारत के नागरिक नहीं होंगें।

अनु. 10 : कोई भी व्यक्ति जिसे इस भाग के किसी भी प्रावधान के तहत भारत का नागरिक माना जाता है। व नागरिक बना रहेग
और संसद द्वारा बनाये गये कानून के अधीन भी होगा।

अनु. 11 : संसद कानून निर्माण द्वारा नागरिकता अधिकार को विनियमित करेगी।
संसद को नागरिकता के अधिग्रहण व समाप्ती तथा नागरिकता से सम्बन्धित किसी अन्य मामलें में कोई भी प्रावधान करने क
अधिकार है।

नागरिकता अधिनियम 1955

अनु. 11 का प्रयोग लाया गया।
इसे व्यक्ति अनु. 10 के अन्तर्गत मिली।
6 बार संसोधन (1986, 1992, 2003, 2005, 2011, 2019)

- नागरिकता का अधिग्रहण (Acquisition of Citizenship)
- नागरिकता की समाप्ति (Lose of Citizens of India)
- OCI (Overseas Citizens of India)
- CAA, NPR (Nation Population Register) , NRC

नागरिकता का अधिग्रहण

1. जन्म के द्वारा (By Birth)
2. वंश के द्वारा (By Descent)
3. पंजीकरण के द्वारा (By Registration)
4. देशीयकरण के द्वारा (By Naturalisation)
5. क्षेत्रीय अधिग्रहण / संसावेशन (Acquisition of Territory)

1.जन्म के द्वारा

- 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 : भारत में जन्मा हो।
- 1 जुलाई 1987 से 3 दिसम्बर 2004 : जो भी भारत में जन्मा हो और उनके अभिभावक भारतीय नागरिक हो।
- 3 दिसम्बर 2004 से अभी तक : जो भी भारत में जन्मा हो तथा अभिभावक भारत के नागरिक हो एवं अन्य अभिभावक गैर कानून
प्रभासी न हो।

2. वंश के आधार पर

- 26 जनवरी 1950 से 10 दिसम्बर 1952 : ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म विदेश में हुआ और इनके अभिभावक भारतीय नागरिक थे।
- 10 दिसम्बर 1952 से 3 दिसम्बर 2004 : ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म विदेश में हुआ और इनके अभिभावक भारतीय नागरिक थे।
- 3 दिसम्बर से अभी तक : नवजात शिशु को 1 साल के भीतर अभिभावक द्वारा नागरिकता के लिये आवेदन करता होगा।

3. पंजीकरण द्वारा

➢ इस प्रकार का प्रावधान ऐसे व्यक्तियों के लिये उपलब्ध है जो नागरिकता के आवेदन के समय भारत से जुड़ा हो व भारत में र
रहे हो।

उदा. के लिये

1. व्यक्ति भारतीय मूल का हो।
2. भारतीय नागरिक का बच्चा हो।
3. भारतीय नागरिक दामपव्य
4 ओ.सी.आई. कार्ड धारक

यह विधि देशीकरण की प्रक्रिया से नागरिकता प्राप्त करने का आसान विधि है।

4. देशीकरण

➢ निम्नलिखित शर्तों के पालन पर देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है।
➢ 12 माह लगातार निवासी (आवेदन के समय से)
➢ पिछले 14 वर्ष में 11 वर्ष भारत में निवास, जिसमें 12 माह सम्मिलित नहीं होगा।
✓ 3 वर्ष बाहर आना–जाना।
✓ 11 वर्ष भारत में लगातार रहना।
✓ 5 वर्ष (सी.ए.ए.2019 द्वारा)

2010 14 वर्ष 4 जून 2024(आवेदन देने की तारीख तक) 12 महीने लगातार

➢ इसके अलावा अन्य कुछ शर्तें भी है। जैसे–
1. संविधान के अनुसूची 8 के तहत भाषा का ज्ञान होना चाहिये।
2. चरित्र प्रमाण अच्छा होना चाहिये।

5. क्षेत्रीय अधिग्रहण/समावेश द्वारा

➢ इस अधिनियम ने संसद को यह शक्ति प्रदान की है कि ऐसा क्षेत्र जिसे भारतीय राज्य में सवावेशित कर लिया है उसके सम्बन
में निर्णय ले।

नागरिकता का समापन

1. त्याग – स्वेच्छा से त्याग
2. समाप्ती – दूसरे देश की नागरिकता गृहण करने पर भारतीय समाप्त हो जायेगी।
3. वंचित द्वारा – यदि नागरिकता धोखाधड़ी से प्राप्त की जाये।

➢ संविधान के प्रति वफादार न रहने पर।
➢ युद्ध के समय शत्रु देश के साथ संचार करने पर।
➢ 2 साल की सजा वाले अपराध करने पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है। यदि नागरिकता प्राप्त किये 5 वर्ष नहीं हुये है।
➢ 7 वर्ष तक बिना जानकारी दिये बिना विदेशों में रहना, से भी नागरिकता समाप्त हो सकती है।

OCI (Overseas Citizens of India)

यह एक ऐसी अवस्था है जो OCI कार्ड धारकों को उपलब्ध है इसे प्रभाषीय भारतीयों को विभिन्न लाभ प्राप्त होते है। जब वह भारत आते है।

विभिन्न लाभ :

1. बिना वीजा के कई बार लम्बे समय के लिये भारत में पुर्न प्रवेश।
2. ASI विरासतों में भ्रमण के दौरान भारतीय नागरिकों की तरह व्यवहार।
3. भारतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि सहित सम्पत्ति खरीदने का अधिकार।
4. FRRO (Foreign Reginal Registration Office)

OCI प्राप्त करने के लिये योग्यताऐं :

1. कोई व्यक्ति जो स्वंय या उसके अभिभावक, दादा–दादी, नाना–नानी (3 पीढ़ी) के अभिभावक किसी समय भारत के निवासी रहे हो।

2.भारतीय अभिभावक का अव्यस्क बच्चा,

3. भारतीय नागरिक के दामपत्य।

नोट–पाक, बांग्लादेश एवं ऐसे देश जो संसद द्वारा निर्धारित किया जाये **OCI** कार्ड के पात्र नहीं है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम :

- यह अधिनियम पाकस्तिान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चन और सिक्ख समुदायों को नागरिकता प्रदान करता है। जो 21 दिसम्बर 2014 तक भारत आ गये थे।
- यह प्रावधान अनुसूची 6 के अन्तर्गत आने वाले भारतीय राज्य जैसे असम, मैघालय, मिजोरम, एवं त्रिपुरा इन क्षेत्रों Innerline Permit की व्यवस्था है, के लियें नहीं होगा।
- इसके निम्न लाभ है।

1. ये लोग गैर कानूनी प्रवासी की परिभाषा से मुक्त होते है। अर्थात् न कोई वीजा।
2. देशीकरण की प्रक्रिया के लम्बे समय को कम कर गया – 5+1 = 6 वर्ष (पहले 11 वर्ष थी)
3. आगमन की तिथि से ही ऐसे आवेदकों को भारत की नागरिकता प्राप्ह हो जाती है।

यहां नागरिकता प्राप्त करने का मतलब लगभग भारत के सभी लाभ प्राप्त करना होता है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 :

इस अधिनियम में धारा 14ए जोड़ा गया। इसके अन्तर्गत सरकार को यह शक्ति दी गई कि वह अपने नागरिकों के लिये राष्ट्रीय पहचान पत्र प्रदान करें।

सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह अपने निवासियों की सभी जानकारी एकत्र कर सकें।

NPR (National Population Register) :

1. इसमें सामान्यतः भारत में आवास करने वाले जो 6 महीने रह चुके है व आगे 6 महीनें रहने वाले है।
2. अपने निवासियों की विभिन्न जानकारी जैसे वायोमैट्रिक एकत्रित है।
3. पिछली NPR 2010 में बनाई गई जो कि जनगणना के घरेलु सूचीकरण के दौरान किया जाता है
4. अगला NPR अगली जनगणना में होगा।

NRC (National Register of Citizenship) :

- NRC, NPR के आधार पर निर्मित किया जाता है।
- अभी तक NRC असम समझौते को लागू करने के लिये असम में लागू किया गया है इसके अन्तर्गत नागरिकों की सूची होती है न कि उनकी स्थिति।